

एनएचपीसी. लिमिटेड
तीस्ता - IV जलविद्युत परियोजना (520 मेगावाट)
पर्यावरण संबंधी पहलुओं के संबंध में छमाही प्रगति रिपोर्ट

सितम्बर, 2024 को समाप्त अवधि के लिए प्रगति रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	तीस्ता - IV जलविद्युत परियोजना (520 मेगावाट)
2	परियोजना का प्रकार	जल-विद्युत परियोजना (रन आफ द रिवर स्कीम)
3	स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या और तारीख क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति ख) वन संबंधी स्वीकृति	क) सं. जे-12011/67/2008-आईए-1, दिनांक 09.01.2014 (संशोधित पत्र सं. जे-12011/67/2008-आईए-1 (आर) पीटी., दिनांक 17.09.2019 ख) एफ. संख्या 8-65/2011-एफसी, दिनांक 26.02.2013
4	स्थान क) जिला ख) राज्य ग) अक्षांश घ) देशांतर	ज़िला मंगन सिक्किम 27° 28' 50" उ॰ (बाँध स्थल); 27° 25' 00" उ॰ (विद्युत गृह स्थल) 88° 31' 23" पू॰ (बाँध स्थल); 88° 30' 35" पू॰ (विद्युत गृह स्थल)
5	पत्र-व्यवहार का पता क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित) ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित)	महाप्रबन्धक (विद्युत) तीस्ता - IV जलविद्युत परियोजना, एनएचपीसी लिमिटेड, मंगन नगर पंचायत भवन, रिंज़िंग नामग्याल मार्ग, मंगन, ज़िला मंगन -737116 (सिक्किम) फोन : +91-9800003561 (मोबाइल) कार्यपालक निदेशक (पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन), एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा)-121003 फोन : 0129-2254674
6	पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण	प्रमुख पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाएँ निम्नलिखित हैं : जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना, जैवविविधता प्रबंधन योजना, मात्स्यिकी प्रबंधन योजना, जन स्वास्थ्य प्रबंधन योजना, डम्पिंग स्थलों का पुनरुद्धार, अपशिष्ट प्रबंधन, भूदृश्य निर्माण तथा निर्माण स्थलों एवं खदान क्षेत्रों का पुनरुद्धार, ईंधन तथा ऊर्जा संरक्षण उपाय, हरित पट्टी

		विकास योजना, जलाशय परिधि उपचार योजना, वायु, ध्वनि तथा जल की गुणवत्ता संबंधी प्रबंधन योजना, प्रतिपूरक वृक्षारोपण योजना, आपदा प्रबंधन योजना तथा पर्यावरणीय निगरानी कार्यक्रम।				
7	परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का विवरण) क) जलमग्न क्षेत्र: (वन क्षेत्र और गैर-वन क्षेत्र) ख) अन्य	68.82 हैक्टेअर वन भूमि 36.54 हैक्टेअर गैर-वन भूमि 74.67 हैक्टेअर वन भूमि जिसमें 14.40 हैक्टेअर भूमिगत वन भूमि और 141.28* हैक्टेअर गैर-वन भूमि शामिल है * सिक्किम सरकार गजेट संख्या 384 दिनांक 31.12.2021 में RFCTLARR अधिनियम, 2013 के सेक्शन 11(1) के अंतर्गत प्रकाशित प्राथमिक नोटिफिकेशन के अनुसार				
8	जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/दस्तकारों की गणना सहित परियोजना से प्रभावित आबादी का विवरण क) अनु.जा./अनु.ज.ज./आदिवासी ख) अन्य	<table><tr><td>जो परिवार घर और भूमि खो रहे हैं, उनकी संख्या</td><td>7</td></tr><tr><td>जो परिवार केवल भूमि खो रहे हैं, उनकी संख्या</td><td>275 (आर आर यूनिट – 802) (सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट के अनुसार)</td></tr></table> क) अनु.जा.- 01 तथा अनु.ज.ज. – 227 ख) ओबीसी – 01 तथा अन्य जाति – 05 (234 सर्वेक्षित परिवारों में - सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट के अनुसार)	जो परिवार घर और भूमि खो रहे हैं, उनकी संख्या	7	जो परिवार केवल भूमि खो रहे हैं, उनकी संख्या	275 (आर आर यूनिट – 802) (सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट के अनुसार)
जो परिवार घर और भूमि खो रहे हैं, उनकी संख्या	7					
जो परिवार केवल भूमि खो रहे हैं, उनकी संख्या	275 (आर आर यूनिट – 802) (सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट के अनुसार)					
9	वित्तीय ब्यौरा क) परियोजना की लागत, जैसाकि आरम्भ में आयोजना की गई थी, और बाद के संशोधित अनुमान तथा मूल्य संदर्भ का वर्ष ख) परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च	₹ 3594.74 करोड़ (जुलाई, 2009 मूल्य स्तर पर) ₹ 6113.21 करोड़ (अप्रैल, 2021 मूल्य स्तर पर) निवेश पूर्व प्रक्रियाओं पर हुआ खर्च: ₹ 272.60 करोड़ (लगभग) (30 सितम्बर, 2024 तक) (i) ₹ 7265.66 लाख रुपये (डीपीआर)				

	ग) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किया गया आवंटन घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च	(ii) ₹ 5653.18 लाख रुपये (अनुमोदित ईएमपी के अनुसार) आरएण्डआर योजना की लागत रुपये 2823.30 लाख को छोड़कर। सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट में आरएण्डआर योजना के लिए रुपये 12270.95 लाख की राशि प्रस्तावित की गई है। शून्य। यद्यपि कंपेन्सेटरी लेवी के रूप में सिक्किम कैम्पा / राज्य वन विभाग में जनवरी 2018 में रुपए 50.53 करोड़ जमा किए गए हैं। परियोजना का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।
10	वन भूमि की आवश्यकताएं क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अपवर्तन के अनुमोदन की स्थिति ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई के संबंध में स्थिति	पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पत्र दिनांक 26.02.2013 के द्वारा 143.49 हैक्टेअर वन भूमि के अपवर्तन हेतु वन स्वीकृति (चरण-I) प्रदान की है जिसमें भूमिगत निर्माण-कार्यों के लिए 14.40 हैक्टेअर भूमि शामिल है। वन स्वीकृति (चरण-I) में वर्णित शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट राज्य वन विभाग द्वारा पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग को पत्र दिनांक 31.01.2018 के द्वारा प्रेषित कर दी गई थी जो पुनः पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग द्वारा पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को पत्र दिनांक 15.02.2018 के द्वारा वन स्वीकृति (चरण-II) के विचारार्थ अग्रेषित कर दी गई थी। पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अनुपालना रिपोर्ट पर पत्र दिनांक 03.04.2018 के द्वारा कुछ प्रेक्षण प्रस्तुत किए थे। इन प्रेक्षणों पर राज्य वन विभाग द्वारा उत्तर पत्र दिनांक 07.01.2019 के द्वारा दे दिया गया था। पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पत्र दिनांक 05.02.2019 के द्वारा पुनः कुछ प्रेक्षण मुख्यतः वन अधिकार अधिनियम, 2006 की अनुपालना पर प्रस्तुत किए गए हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 की अनुपालना ज़िला प्रशासन, मंगन ज़िला स्तर पर लंबित है। शून्य परियोजना का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।
11	निर्माण की स्थिति क) आरम्भ करने की तारीख (वास्तविक और / अथवा आयोजना की गई) ख) पूरा होने की तारीख	क) परियोजना को वन स्वीकृति (चरण-II) तथा निवेश हेतु अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है अतएव परियोजना का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। ख) परियोजना की निर्माण अवधि सीसीईए स्वीकृति से 72 मास है।

	(वास्तविक और / अथवा आयोजना की गई)	
12	विलम्ब के कारण, यदि परियोजना अभी आरम्भ की जानी है	क) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत होने वाले अनुपालन के लंबित होने के कारण वन मंजूरी (चरण- II) लंबित है। ख) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) के अनुसार 177.8148 हैक्टेअर निजी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन पूर्ण हो चुका है तथा फ़ाइनल एसआईए रिपोर्ट अगस्त 2018 में प्रस्तुत कर दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा एसआईए रिपोर्ट के मूल्यांकन हेतु राजपत्र अधिसूचना संख्या 148 दिनांक 04.08.2020 के द्वारा बहु-विषयक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन कर दिया गया था। एक्सपर्ट ग्रुप ने पत्र दिनांक 03.09.2020 के द्वारा अपनी रिपोर्ट सचिव, भूमि राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, सिक्किम सरकार को प्रस्तुत कर दी थी तथा राज्य सरकार द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया गया है। विशेष सचिव, भूमि राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, सिक्किम सरकार द्वारा पत्र संख्या 358/LR&DMD/ACQ/GOS/1813 दिनांक 16.10.2020 के माध्यम से जिला कलेक्टर (उत्तर) को एसआईए रिपोर्ट तथा एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट के राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के विषय में अवगत कराया गया है तथा RFCTLARR Act, 2013 के नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। ग) 177.8148 हैक्टेअर निजी भूमि तथा 3.7964 हैक्टेअर विभागीय भूमि के अधिग्रहण हेतु RFCTLARR अधिनियम, 2013 के सेक्शन 11(1) के अंतर्गत प्राथमिक नोटिफिकेशन सिक्किम सरकार गज़ेट संख्या 384 दिनांक 31.12.2021 में प्रकाशित हों गया है। घ) चूंकि घोषणा और सारांश आर एंड आर रिपोर्ट के प्रकाशन की अवधि 30.12.2022 को समाप्त हो रही थी, इस मामले को एनएचपीसी द्वारा पत्र दिनांक 23.11.2022 के माध्यम से सचिव, भूमि राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, सिक्किम सरकार के समक्ष उठाया गया था। तदनुसार, राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 06.12.2022 के द्वारा अतिरिक्त 12 महीनों के लिए घोषणा अधिसूचना के प्रकाशन की समय अवधि बढ़ा दी। ङ) घोषणा अधिसूचना के प्रकाशन की समय सीमा दिसंबर 2023 तक थी इसे ध्यान में रखते हुए, एनएचपीसी ने पत्र दिनांक 30.11.2023 के माध्यम से जिला कलेक्टर, मंगन को आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 19(1) के

		तहत घोषणा के प्रकाशन की प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए अनुरोध किया। च) तदनुसार, राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 28.12.2023 की के माध्यम से घोषणा अधिसूचना प्रकाशित करने की समय अवधि को 31.12.2023 से प्रभावी अतिरिक्त 12 महीने तक बढ़ा दिया। छ) प्राथमिक नोटिफिकेशन के बाद भूमि अधिग्रहण पूर्ण करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं ज़िला प्रशासन द्वारा की जा रही हैं।
13	स्थल के दौरों का ब्यौरा क) निगरानी समिति द्वारा ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा	निगरानी समिति की संस्थापना निवेश अनुमोदन / सीसीईए स्वीकृति की प्राप्ति के पश्चात की जाएगी।
14	पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट	सीसीईए स्वीकृति होने के पश्चात परियोजना निर्माण गतिविधियों के साथ-साथ पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।